

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग

संख्या : ७५४/VIII / 228-श्रम/2005
देहरादून दिनांक २४ अप्रैल, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-11 सन, 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में अब स्थित होटल और रेस्टोरेन्ट उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण निम्नवत् करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :-

क्षेत्र-“ए”:-

क्षेत्र-“ए” में देहरादून, मसूरी और नैनीताल शहरों में स्थित ढाबा, होटल के और रेस्टोरेन्टों में विभिन्न वर्गों के कार्य के लिये कर्मकारों के लिये देय मजदूरी की न्यूनतम दरें :-

क्रम संख्या	होटल और रेस्टोरेन्ट का वर्ग	विभिन्न वर्गों के कर्मकारों के लिये न्यूनतम मजदूरी (प्रतिमाह रूपयों में)			
		अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	अतिकुशल
1.	सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित हैं।	2710/-	2850/-	2990/-	-
2.	सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं।	2850/-	2990/-	3195/-	3470/-
3.	स्टार होटल	3195/-	3610/-	4025/-	4990/-

क्षेत्र — “बी”

क्षेत्र “ए” में सम्मिलित या उल्लिखित नगरों को छोड़कर सभी नगरपालिका या छावनी क्षेत्रों के अन्तर्गत स्थित ढाबा, होटल और रेस्टोरेन्टों में विभिन्न वर्गों के कार्य के लिए नियोजित कर्मकारों के लिए देय मजदूरी की न्यूनतम दरें :-

क्रम संख्या	होटल और रेस्टोरेन्ट का वर्ग	विभिन्न वर्गों के कर्मकारों के लिये न्यूनतम मजदूरी (प्रतिमाह रूपयों में)			
		अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	अतिकुशल
1.	सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित हैं।	2575/-	2710/-	2850/-	-

DLC/OS/SA Pooling

10-5-05

14/5/05

286.....

10/5/05

सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं। स्टार होटल	2710 /- 2850 /- 2990 /- 3195 /-
	2920 /- 3330 /- 3750 /- 4300 /-

क्षेत्र " ए " तथा " बी " में सम्मिलित या उल्लिखित नगरों को छोड़कर उत्तरांचल के शेष भाग में स्थित
ढाबा, होटल और रेस्टोरेन्टों में विभिन्न वर्गों के कार्य के लिए नियोजित कर्मकारों के लिए देय मजदूरी की न्यूनतम
रे :-

क्रम संख्या	होटल और रेस्टोरेन्ट का वर्ग	विभिन्न श्रेणियों के कर्मकारों के लिये न्यूनतम मजदूरी (प्रतिमाह रूपयों में)			
		अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	अतिकुशल
सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित हैं		2225 /-	2330 /-	2435 /-	-
सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं।		2365 /-	2470 /-	2575 /-	2710 /-
स्टार होटल		2710 /-	2990 /-	3265 /-	3610 /-

टिप्पणी :- कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है ।

2. परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता:-

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=100) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुये परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा ।

- मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के $1/26$ से कम न होगी ।
- प्रति घण्टा मजदूरी की दर दैनिक दर के $1/6$ से कम न होगी !
- किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी ।
- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुये एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है, अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी प्रतिघण्टा मजदूरी की दर तत्समान दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी ।

क. विद्यो को उपलब्ध कराया जा रहे विद्यार्थी आसपास एव भोजन हेतु सेवामेजक सम्बन्धित कर्मचारी को वेतन से अधिकतम 200/- रु० प्रतिमाह कटौती कर सकते हैं लेकिन जो प्रतिष्ठान श्रमिकों के वेतन से इस प्रयोजन हेतु कोई कटौती नहीं करते हैं, वह व्यवस्था यथावत बनी रहेगी।

8. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होंगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और जीवन निर्वाह भत्ता भी है) अधिक हैं, तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानों उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी को न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।

9. यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूर्व से कर रहा है, तो इस अधिसूचना के अनुसार समय-समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिये वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि वर्तमान में निर्धारित मजदूरी और बढ़ी हुई परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की राशि, दी जा रही कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्तव में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरण :-

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2500.00 रुपया है और मंहगाई भत्ता 100.00 रुपया है और इस प्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 2600.00 रुपया होती है और उस दिन किसी नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मचारी को 2550.00 रुपया प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बड़े हुये परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और मंहगाई भत्ता मिलाकर 2550.00 रुपया से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल 50.00 रुपया के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

10. जहां किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

11. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

12. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिकों को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों की तरह/बराबर/समान इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सहित) का भुगतान किया जायेगा।

परिशिष्ट

1- अकुशल :-

चपरासी, चौकीदार, दरबान, वाचमैन, गटकीपर, मशालची, स्वीपर, सफाईकार, हेल्पर, मजदूर, ट्रालीमैन, कुली, गेट-ब्याय, गेम-ब्याय, बाल- ब्याय, पेज- ब्याय, लाण्ड्रीमैन, वाटर मैन, लेमन मैन, विलियर्ड

आम आर व शाना कर्मकार आ अकुशल प्रकार के कार्य में लगे हों, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए।

2- अर्द्धकुशल :-

वेटर/बैरा/सहायक स्टीवार्ड, रूम बैरा, सर्विस मैन, सहायक रसोइया, सहायक इलेक्ट्रीशियन, सहायक मैकेनिक, सहायक ऑपरेटर, बिल मैन/लिपिक/बिल कलेक्टर, केता, लिफ्ट मैन, सेफ, पम्पमैन, गैस फिलर, वायरमैन, विलियर्ड्स मार्कर, आईसक्रीम वाला, फालूदा मेकर, सीरपमेकर, भेलपुरी वाला, कबाब सीक वाला, ग्राइण्डर, बार मैन, फाउण्टेन मैन, माली और वे सभी कर्मकार जो इसी प्रकार के कार्य में लगे हों, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए।

3- कुशल :-

रसोइया/उस्ताद महाराज, तंदुरिया/तंदूरची, खानसामा/बावर्ची, प्रधान वेटर/प्रधान बैरा, सुपरवाईजर्स, हलवाई, मिठाई बनाने वाला, हेडबेकर, पेण्ट्रीमैन/हेड पेण्ट्रीमैन, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टीवार्ड/कनिष्ठ कैप्टेन, लेखाकार, टंकक, आशुलिपिक, रोकड़िया, स्टोर कीपर, स्वागती/मुख्य स्वागती, आर्डर मास्टर, होटल गाइड, टेलर/कारपेन्टर, फिटर/टर्नर/प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आपरेटर मैकेनिक, ड्राइवर, सहायक बागवानी, विशेषज्ञ, हाउस कीपर ट्रेनर (स्वीमिंग) और वे सभी कर्मकार जो इसी प्रकार के कार्य में लगे हों, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए।

4- अतिकुशल:-

प्रधान रसोइया, कैप्टेन, बटलर, प्रधान लिपिक, ज्येष्ठ टंकक, प्रधान रोकड़िया, प्रधान स्टोर कीपर, प्रधान मुनीम, ज्येष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक और वे सभी कर्मकार जो इसी प्रकार के कार्य में लगे हों, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

तददिनांक

पृष्ठांकन संख्या: 758 /VIII/228-श्रम/200।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी।
5. उप-निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० के० चौहान)
अनु सचिव।